बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग
बिहार सरकार

# गन्ना यंत्रिकरण योजना

## वित्तीय वर्ष 2026-27

## मार्गदर्शिका

# अनुक्रमणिका


| क्र०सं० | विषय–वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | पृष्ठभूमि | 1 |
| 2. | योजना का उद्देश्य | 1 |
| 3. | योजना का विस्तार | 1 |
| 4. | योजना की समय–सीमा | 1 |
| 5. | योजना के अधीन पात्रता | 2-3 |
| 6. | अनुदान दर | 3-4 |
| 7. | आवेदन की प्राप्ति | 4-5 |
| 8. | आवेदन की जाँच | 5 |
| 9. | लक्ष्य का निर्धारण एवं स्वीकृति पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया | 5-6 |
| 10. | स्वीकृति पत्र की वैधता | 6 |
| 11. | कृषि यंत्रों का क्रय | 6 |
| 12. | निर्माता और विक्रेता की भूमिका | 6-8 |
| 13. | कृषि यंत्र का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन | 8 |
| 14. | अनुदान भुगतान की प्रक्रिया | 9 |
| 15. | कृषि यंत्रों की सूचीबद्धता | 9-12 |
| 16. | योजना का अनुश्रवण | 12-13 |
| 17. | पदेन कर्मियों एवं पदाधिकारियों का दायित्व | 13-16 |
| 18. | यंत्र बैंक का परिचालन | 16-17 |
| 19. | प्रचार–प्रसार | 17 |
| 20. | लेखा का संधारण | 17 |
| 21. | धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई | 17-18 |
| 22. | अन्यान्य | 18 |
| 23. | गन्ना यंत्रिकरण योजना का सामान्य अनुदेश | 18-19 |

# गन्ना यंत्रिकरण योजना

# (वित्तीय वर्ष 2026–27)

# कार्यान्वयन अनुदेश

**गन्ना उद्योग विभाग**

**बिहार, पटना।**

# वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनांतर्गत " गन्ना यंत्रिकरण योजना " के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

**1. पृष्ठभूमि :–**

बिहार में गन्ना उत्पादक किसान मुख्यतः पारम्परिक खेती पद्धतियों पर निर्भर हैं तथा उनके द्वारा कृषि यंत्रिकरण को अभी भी सीमित स्तर पर अपनाया गया है, जिसके फलस्वरूप गन्ने की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत गन्ना की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गन्ना की खेती में आधुनिक कृषि तकनीकों एवं यंत्रिकरण को अपनाना आवश्यक है। आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से गन्ना बीज का उपचार,वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित दूरी पर रोपण तथा अन्य कृषि कार्य समयबद्ध एवं वैज्ञानिक ढंग से संपादित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कीट, रोग एवं खर–पतवारों के प्रभावी नियंत्रण में भी आधुनिक कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस योजना के अंतर्गत गन्ना की खेती में खेत की तैयारी से लेकर गन्ना की कटाई एवं फसल प्रबंधन तक उपयोग में आने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसान यंत्रिकरण को तेजी से अपनाकर गन्ने की उत्पादकता एवं आय में वृद्धि कर सकें।

**2. योजना का उद्देश्य :–**

2.1 गन्ना की खेती की लागत को कम करना तथा किसानों की आमदनी में वृद्धि।

2.2 गन्ना खेती में यंत्रिकरण को बढ़ावा देकर कृषि कार्यों को समय पर संपन्न करना, जिससे उत्पादकता, गुणवत्ता एवं चीनी रिकवरी प्रतिशत में वृद्धि हो।

2.3 गन्ना उत्पादन एवं क्षेत्रफल में वृद्धि कर चीनी मिलों को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण गन्ने की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

2.4 इस योजनांतर्गत "यंत्र बैंक" की स्थापना से गन्ना के छोटे–छोटे किसानों को शष्य क्रियाएं हेतु उचित मूल्य पर यंत्र की उपलब्धता हो सकेगी।

**3. योजना का विस्तारः–** योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण बिहार राज्य (चीनी मिल एवं गैर–चीनी मिल क्षेत्रों) में किया जाएगा।

**4. योजना की समय–सीमा :–** वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लागू।

## 5. योजना के अधीन पात्रता :–

**5.1** **गन्ना किसान**:– वे किसान जो गन्ना की खेतीं करते है या गन्ना की खेतीं में अभिरूचि रखतें है साथ ही उनके पास गन्ना किसान आइ०डी० उपलब्ध हो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगें। एक गन्ना किसान को **अधिकतम 3** कृषि यंत्र पर अनुदान देय होगा ।

**5.2** **किसान समूह**:–ऐसे पंजीकृत अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कृषकों के समूह यथा:–पैक्स/जीविका समूह/आत्मा से पंजीकृत किसान समूह/फार्मर प्रोडयूसर ऑर्गेनाईजेशन/पंजीकृत एग्रोटेक कंपनी/पंजीकृत सोसाइटी/गन्ना से संबंधित सरकारी संस्थान/एग्रीकल्चरल टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर (ए०टी०एस०पी)/अनुज्ञप्ति प्राप्त गुड़ उद्यमी/चीनी मिल जो गन्ना उत्पादन एवं कृषि यंत्रिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से कार्य करते हों वें इस योजना के अंतर्गत **यंत्र बैंक** की स्थापना कर सकेंगें।

गन्ना यंत्र बैंक से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ गन्ना खेती हेतु आवश्यक आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि लघु एवं सीमांत किसान आवश्यकता अनुसार निर्धारित किराये पर यंत्र प्राप्त कर उनका उपयोग कर सकें। यंत्र बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृत यंत्रों में से **न्यूनतम 07 (सात) यंत्र** क्रय करना अनिवार्य होगा। यंत्र बैंक अन्तर्गत Value Addition Implement (Sugarcane juicer machine) शामिल नहीं है।

(i) एग्रीकल्चरल टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर (ए०टी०एस०पी) के द्वारा यंत्र बैंक की स्थापना के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। चीनी मिल/एस०आर०आई०, पूसा/आई०सी०ए०आर०/केन्द्र एवं राज्य सरकार के गन्ना से संबंधित अन्य संस्थान द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(ii) ए०टी०एस०पी के द्वारा जो प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र दिया जाएगा उसमें कम–से–कम प्रशिक्षण पाँच दिनों की अवधि का होना आवश्यक होगा।

(iii) चीनी मिल द्वारा यंत्र बैंक की स्थापना पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी।

**5.3** **मूल्य संवर्धन यंत्र (गन्ना जूसर मशीन)** बिहार राज्य के किसान अथवा इच्छुक व्यक्ति योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होंगें।

5.4 गन्ना किसान/यंत्र बैंक अन्तर्गत समूह को जिस यंत्र पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान प्राप्त होगा, उस यंत्र पर अगले 03 वित्तीय वर्षो तक अनुदान देय नहीं होगा। लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए यंत्रों के अतिरिक्त अन्य यंत्रों का लाभ अगले वर्ष ले सकते हैं।

5.5 यंत्र विक्रेता एवं उसके परिवार के सदस्य गन्ना यंत्रिकरण योजनांतर्गत लाभुक नहीं हो सकते हैं अर्थात उन्हें अनुदान राशि का लाभ देय नहीं होगा। परन्तु चीनी मिल द्वारा यंत्र विक्रेता होने की स्थिति में यंत्र बैंक की पात्रता रखेंगे।

5.6 बीस हजार (रू० 20000) रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदक के नाम से LPC या अद्यतन मालगुजारी रसीद की आवश्यक्ता होगी। LPC या विगत पाँच वर्षो में कम से कम एक वर्ष का मालगुजारी रसीद आवश्यक होगा। आवेदक के स्वयं के नाम से LPC या मालगुजारी रसीद नहीं रहने कि स्थिति में भी पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्रांक–16184 दिनांक–27.12.2023 तथा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली पर भी योजना का लाभ दिया जा सकता है बशर्ते उनके नाम से जमीन में हिस्सेदारी सिद्ध हो।

5.7 बीस हजार या बीस हजार से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर LPC या लगान रसीद की अनिवार्यता नहीं होगी। 20 हजार रूपये एवं 20 हजार रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर गैर–रैयत कृषक (वास्तविक खेतिहर)/बटाईदार किसान भी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

5.8 पावर टीलर/ट्रैक्टर के लिये सामान्य श्रेणी के कृषक के पास कम से कम 01 (एक) एकड़ जमीन होना अनिवार्य है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कृषकों के लिए न्यूनतम भू–धारिता 0.5 एकड़ होना अनिवार्य है।

## 6. अनुदान दर–

| लाभुक | अनुदान दर |
|---|---|
| गन्ना किसान | • यंत्र विशेष पर अनुदान क्रय मूल्य का अधिकतम 40 प्रतिशत अथवा यंत्र विशेष के लिए निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि देय होगा। |

30/7/024

| | |
|---|---|
| | • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान अर्थात ईकाई लागत समिति द्वारा निर्धारित यंत्रों के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा यंत्र विशेष के लिए निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि देय होगा। |
| | • फसल अवशेष प्रबंधन संबंधित यंत्रों एवं सेट ट्रीटमेंट डिवाइस पर समान्य जाति के लिए 75 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछडा वर्ग के गन्ना किसान को 80 प्रतिशत अनुदान देय होगा। |
| **यंत्र बैंक अन्तर्गत किसान समूह पैक्स/जीविका समूह /आत्मा से पंजीकृत किसान समूह/फार्मर प्रोडयुसर ऑर्गेनाईजेशन/ पंजीकृत एग्रोटेक कंपनी /पंजीकृत सोसाइटी/गन्ना से संबंधित सरकारी संस्थान /एग्रीकल्चरल टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर (ए०टी०एस०पी)/अनुज्ञप्ति प्राप्त गुड़ उद्यमी/चीनी मिल** | • योजना अंतर्गत ₹10 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 80 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम ₹8.00 लाख देय होगा। |

इस योजना के लिए चिन्हित कृषि यंत्र, अनुमानित मूल्य एवं अनुदान दर सहित योजना का राज्य स्तर पर सांकेतिक भौतिक एवं वित्तीय आकार का विवरण **परिशिष्ट–1 एवं 2** के रूप में संलग्न है।

## 7. आवेदन की प्राप्ति :–

7.1 किसान जो अनुदानित दर पर यंत्र क्रय करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम www.dbtagriculture.bihar.gov.in (DBT Portal) पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। तदोपरांत वे विभागीय केन केयर पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in या https://sugarcanemech.bihar.gov.in के माध्यम से गन्ना किसान आइ०डी० प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगें। यंत्र समूह भी https://sugarcanemech.bihar.gov.in पोर्टल के द्वारा आवेदन कर सकेंगें। योजना में शामिल विभिन्न यंत्रों की सूची विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

30/7/2026

7.2 वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु गन्ना यंत्रिकरण योजना अंतर्गत सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालयवार आवेदनों का सांकेतिक लक्ष्य **परिशिष्ट–3** में संलग्न है।

7.3 किसान/किसान समूह **SuMech** पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। प्रत्येक माह की 25 तारीख तक के प्राप्त आवेदनों को सत्यापन के लिए अग्रसारित किया जाएगा। राज्य लक्ष्य प्राप्त हो जाने की स्थिति में आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा।

## 8. आवेदन की जाँच :–

किसान/किसान समूह द्वारा आवेदन प्राप्त होने के उपरांत संबंधित जनसेवक/कामदार/अधिकृत कर्मी एवं चीनी मिल के द्वारा 03 (तीन) दिनों के अन्दर आवेदक के गृह स्थल पर जाँच की जाएगी, तदोपरांत कार्यालय कर्मी एवं चीनी मिल के संयुक्त जांच के उपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जाएगा। जिसका सत्यापन सहायक निदेशक कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

## 9. लक्ष्य का निर्धारण एवं स्वीकृति पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया :–

(i) सत्यापनोपरांत प्राप्त कुल वैध आवेदन के आधार पर कार्यालय/चीनी मिलवार लक्ष्य का निर्धारण ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक माह की 29 तारीख या अगले कार्य दिवस को किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा लक्ष्य निर्धारण के 2 दिनों के अन्दर संबंधित आवेदक को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा। किसान को स्वीकृति पत्र की जानकारी एस०एम०एस के माध्यम से उनके मोबाइल पर दे दी जाएगी।

(ii) यंत्रों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण के उपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को उप आवंटन दिया जाएगा।

(iii) परिशिष्ट–1 में संलग्न यंत्रों की सूची में शामिल किसी भी एक विशिष्ट यंत्र पर योजना के कुल स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य का अधिकतम **20 (बीस) प्रतिशत** तक ही व्यय किया जा सकेगा। उक्त सीमा से अधिक व्यय केवल सक्षम प्राधिकारी/राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में ही अनुमान्य होगा।

(iv) वित्तीय लक्ष्य से अधिक माँग की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य तक "रैंडमाइजेशन" के द्वारा किसानों/आवेदनों का चयन किया जाएगा।

**रैण्डमाइजेशन की प्रक्रिया :–**

वित्तीय/भौतिक लक्ष्य से अधिक माँग की स्थिति में "रैंडमाइजेशन" के द्वारा किसानों/आवेदनों का चयन किया जाएगा।

प्राप्त वैध आवेदन का योजनांतर्गत वित्तीय लक्ष्य के अधीन किसान/किसान समूह के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति के द्वारा "रैंडमाइजेशन" के माध्यम से आवेदकों (किसानों) को चयनित किया जाएगा। जिन किसानों को रैंडमाइजेशन के अंतर्गत यंत्र का स्वीकृति पत्र नहीं मिलता हैं तो वैसे किसान फिर से विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

**10. स्वीकृति पत्र की वैधता :–**

स्वीकृति पत्र निर्गत किये जाने के 30 दिनों के अंदर किसानों को पोर्टल पर सूचीबद्ध यंत्र विक्रेता से यंत्र का क्रय करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता अनुसार स्वीकृति पत्र की वैधता ईखायुक्त, बिहार के द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

**11. कृषि यंत्रों का क्रयः–**

(i) स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरांत आवेदक किसान/किसान समूह गन्ना उद्योग विभाग के विभागीय पोर्टल https://sugarcanemech.bihar.gov.in पर Enlisted अधिकृत विक्रेताओं से राज्यस्तरीय/जिला स्तरीय कृषक मेला, चीनी मिल द्वारा आयोजित मेला या मेले से बाहर अपनी पंसद तथा कीमत का मोल–भाव कर स्वीकृति पत्र में अंकित निर्धारित तिथि के अन्दर विभागीय पोर्टल https://sugarcanemech.bihar.gov.in पर सूचीबद्ध यंत्र (मेक/मॉडल) का क्रय कर सकेंगे।

(ii) कृषको द्वारा कृषि यंत्रों का पूरा मूल्य सम्बंधित कृषि यंत्र विक्रेता को देकर क्रय किया जायेगा। यंत्र के क्रय के बाद किसान द्वारा क्रय की सूचना विभागीय पोर्टल पर Upload करना अनिवार्य होगा।

**12. निर्माता और विक्रेता की भूमिका :–**

(i) किसान द्वारा यंत्र क्रय की सूचना विभागीय पोर्टल पर Upload करने के दो (2) दिनों के अन्दर संबंधित यंत्र डीलर द्वारा कृषि यंत्र एवं बिल का सत्यापन ऑनलाइन निम्न चेक बाक्स के आधार पर किया जाएगा :–

(क) यंत्र मेरे द्वारा बेचा गया है।

(ख) यह बिल मेरे द्वारा निर्गत किया गया है।

(ग) यंत्र का भुगतान Online प्राप्त हुआ है।

(ii) यंत्र डीलर, द्वारा सत्यापन करने के पश्चात संबंधित निर्माता द्वारा कृषि यंत्र एवं बिल का सत्यापन दो (2) दिनों के अन्दर निम्न चेक बॉक्स के आधार पर किया जाएगा :-

(क) यह यंत्र मेरे द्वारा निर्गत किया गया है।

(ख) यंत्र का सिरीयल नं० का मिलान कर लिया गया है।

(ग) यंत्र का मूल्य सही है।

(iii) निर्माता द्वारा ऑनलाईन सहमति देने के उपरांत, संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन आई०डी० में उक्त अभिश्रव भौतिक सत्यापन हेतु प्रदर्शित होगा।

(iv) विक्रेता द्वारा यंत्र के Retail invoice पर यंत्र के After Sale Service/ Complaint हेतु सम्बंधित सर्विस सेन्टर का पता/सर्विस इंजिनियर/मैकेनिक का मोबाईल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा ताकि यंत्र के वांरटी/गारंटी अवधि के अन्दर एवं उसके बाद भी यंत्र परिचालन में किसी तरह की कठिनाई/खराबी होने पर किसान द्वारा उक्त मोबाईल नं०/टॉल फ्री नं० पर शिकायत (Complain) दर्ज कराया जा सके।

(v) सम्बंधित यंत्र के निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता द्वारा 48 घंटे के अन्दर किसान के शिकायत का निराकरण सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

(vi) किसान का रजिस्ट्रेशन नं० एवं यंत्र आपूर्ति का वित्तीय वर्ष यंत्र आपूर्ति के समय इन्ग्रेभ्ड करना अनिवार्य होगा, जिसे संबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन नं० इन्ग्रेभ्ड किये बिना किसी भी यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा। Engraving इस प्रकार का होना चाहिए जो अमिट हो तथा जाँच के लिए किसी भी समय पठनीय हो। Engraving यंत्र के मुख्य हिस्से में करना अनिवार्य होगा।

(vii) प्लास्टिक से सम्बंधित कृषि यंत्र यथा स्प्रेयर में किसान का रजिस्ट्रेशन नम्बर Engraved/Embossed करने में कठिनाई होगी। इस यंत्र में सीरियल नम्बर होना चाहिए तथा यंत्र के Body पर किसान का रजिस्ट्रेशन नं० एवं विक्रय का वर्ष पेन्ट करना होगा। भौतिक सत्यापन के समय संबंधित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा यंत्र का फोटोग्राफ इस तरह लेना होगा कि उक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नं०/वर्ष स्पष्ट रूप से फोटो में

पठनीय हो। किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होने पर संबंधित कर्मी/पदाधिकारी/विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता/किसान के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(viii) ऐसे यंत्र डीलर, जो कृषि यंत्रों के बिक्री हेतु किसी एक जिला में Registered एवं Approved है, उन्हें राज्य के अन्य जिलों में भी कृषि यंत्रों की बिक्री कर सकेंगे।

(ix) चयनित किसान/किसान समूह द्वारा यंत्र का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, Online Transaction, Digital Transaction, debit Card, Rupay Card आदि से किया जाना अनिवार्य होगा, नगद भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

(x) मूल्य संवर्धन यंत्र (गन्ना जूसर मशीन) के लिए डीलर एवं निर्माता के द्वारा यंत्र एवं बिल का सत्यापन करने की बाध्यता नहीं रहेगी। SuMech पोर्टल पर सूचीबद्ध यंत्र विक्रेता से यंत्र लेने की भी बाध्यता नहीं रहेगी। किसान अथवा इच्छुक व्यक्ति यंत्र का क्रय कर अभिश्रव SuMech पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिसके पश्चात संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास अपने स्तर से अभिश्रव एवं यंत्र का सत्यापन कर अनुदान भुगतान करने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

## 13. कृषि यंत्र का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन :–

यह भौतिक या उपयोगिता सत्यापन SuMech App के द्वारा किया जाएगा।

| सत्यापन का मद | सत्यापन करने वाले पदाधिकारी | समय सीमा | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1. किसान का समस्त विवरण<br>2. बिल में उल्लेखित सामग्री का भौतिक रूप से मशीन के साथ मिलान,<br>3. कैश–मेमो पर उल्लेखित इंजन/ यंत्र संख्या<br>4. आपूर्ति यंत्र के मुख्य हिस्से में किसान का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं विक्रय का वित्तीय वर्ष Engraved/Emboss है या नहीं, इसकी जाँच | सहायक निदेशक, ईख विकास/ उनके अधीनस्थ कर्मी | 04 दिन | • सत्यापन के उपरान्त स्वयं, किसान एवं मशीन का फोटो विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।<br>• भौतिक सत्यापन के समय संबंधित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा यंत्र का फोटोग्राफ इस तरह लेना होगा कि उक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नं०/वर्ष स्पष्ट रूप से फोटो में पठनीय हो। |

## 14. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :–

(i) सहायक निदेशक द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन के उपरांत कृषि यंत्र पर देय अनुदान का भुगतान 03 दिनों के अन्दर संबंधित किसान के बैंक खाते में CFMS के माध्यम अन्तरित किया जायेगा ।

(ii) जो किसान यंत्र का पूरा मूल्य भुगतान कर क्रय करने में सक्षम नहीं है वें बैंक अथवा चीनी मिल से लोन लेकर पूरा मूल्य का भुगतान कर सकते हैं। सम्बंधित किसान को अनुदान की राशि किसान के लोन अकाउन्ट में CFMS के माध्यम से किया जायगा।

(iii) किसानों को आवश्यकतानुसार लोन की स्वीकृति में चीनी मिल के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें त्वरित गति से यंत्रिकरण के लिए लोन प्राप्त हो सके।

(iv) अनुदान भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अंदर संबंधित सहायक निदेशक द्वारा **यंत्रवार अनुदान राशि एवं UTR No./Transaction ID का विस्तृत ब्यौरा विभागीय पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in / https://sugarcanemech.bihar.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) गन्ना किसानों के बीच नवीन तकनीक एवं आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रचार–प्रसार, व्यवहारिक प्रदर्शन हेतु ईख अनुसंधान पूसा एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, मोतीपुर केन्द्र में आधुनिक यंत्रों का प्रत्यक्षण इकाई स्थापित होगा। ये यंत्र व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। सम्बंधित संस्थान को इस हेतु राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा तथा यंत्रों के क्रय के उपरांत संस्थान द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित किया जाएगा।

## 15. कृषि यंत्रों की सूचीबद्धता :–

i. योजना के तहत सभी यंत्रों के लिए यंत्र निर्माताओं के सूचीबद्धता हेतु गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के विभागीय पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in / https://sugarcanemech.bihar.gov.in पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

ii. बिहार के अन्दर एवं राज्य के बाहर के गन्ना कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित वैसे कृषि यंत्र, जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान यथा FMTTI/SAUs/BIS/ CIPET द्वारा परीक्षित एवं प्रमाणित हो, की सूचीबद्धता ऑनलाईन पद्धति से किया जायेगा। परन्तु जिन यंत्र निर्माताओं के पास Test Report उपलब्ध नहीं है, वैसे यंत्रों के लिए

भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्र जांच गुणवत्ता हेतु सूचीबद्ध संस्थान द्वारा Feasibility Test Report के आधार पर तत्काल SuMech Portal पर इस शर्त के साथ सूचीबद्ध कर लिया जाय कि उनके द्वारा 09 माह के अंदर भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान यथा FMTTI/SAUs/BIS/CIPET द्वारा परीक्षित एवं प्रमाणित हो, से Test Report प्राप्त कर लिया जायेगा।

iii. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के गन्ना से संबंधित अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रोटोटाईप या उनके साथ जिन यंत्र निर्माता का MoU हो चुका है, उन यंत्र निर्माताओं को भी सुमेक पोर्टल पर सूचिबद्ध किये जाने का प्रावधान किया गया है। इन मामलों में MoU की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर पुष्टि किया जाएगा।

iv. पचास हजार या उससे कम लागत वाले यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन नहीं रहने पर यंत्र निर्माता को यंत्र का Demonstration, College of Agriculture Engineering Dr RPCAU, Pusa/IISR/SBI/SRI के विशेषज्ञों के सामने करना होगा और उसका Demonstration report विभाग के सुमेक पोर्टल पर Upload करना होगा। तभी उस यंत्र को सुमेक पोर्टल पर सूचिबद्ध किया जाएगा।

v. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु इच्छुक निर्माता, जो बिहार राज्य के कृषकों को अनुदान योजना के तहत यंत्र वितरण करना चाहते है, वे बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग के पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in या https://sugarcanemech.bihar.gov.in पर सूचीबद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। जो पूर्व से SuMech Portal पर ऑनलाईन सूचीबद्ध हो चुके हैं, उन्हें पुनः सूचीबद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

vi. सूचीबद्धता हेतु प्राप्त आवेदन की जाँच–

(क) गन्ना उद्योग विभाग, बिहार द्वारा SuMech अंतर्गत ईखायुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित सूचीबद्धता समिति के द्वारा की जाएगी।

(ख) उक्त समिति में संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना सदस्य सचिव होगें।

(ग) समिति द्वारा अनुशंसित गन्ना कृषि यंत्रों के निर्माता की सूची पर **विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव** का अनुमोदन प्राप्त कर पोर्टल पर Empanelled कर दिया जाएगा।

vii. गन्ना यंत्रिकरण योजना में शामिल होने के लिए गन्ना कृषि यंत्र निर्माताओं/ विक्रेताओं को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षित /प्रमाणित एवं विभागीय SuMech/OFMAS पोर्टल पर ऑनलाईन सूचीबद्ध होना आवश्यक है।

viii. संयुक्त निदेशक, ईख विकास–सह–सदस्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्माताओं से प्राप्त अभिलेखों/टेस्ट रिपोर्ट्स की प्रारंभिक जाँच कर गठित सूचीबद्धता समिति को प्रस्ताव के साथ उपस्थापित करेंगे।

ix. सूचीबद्धता समिति द्वारा जाँचोपरांत यंत्रों को सूचीबद्ध करने की अनुशंसा की जायेगी। तदोपरांत निर्धारित समय–सीमा के अंदर संयुक्त निदेशक, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा यंत्रों के मेक/मॉडल को SuMech पोर्टल में प्रविष्ट कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

x. गन्ना यंत्र निर्माताओं द्वारा SuMech पोर्टल पर आवेदन Finalize करने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना को कागजात की जांच हेतु स्व–प्रमाणित सभी दस्तावेज निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

xi. संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना द्वारा निर्माताओं से प्राप्त अभिलेखों की जाँच कर निर्धारित तीन दिनों में सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट सूचीबद्धता समीति द्वारा यंत्र निर्माताओं के मॉडल की अनुशंसा करने के उपरान्त किया जाएगा।

xii. गन्ना यंत्र निर्माताओं का यंत्र जाँच प्रतिवेदन का सत्यापन जहाँ से निर्गत किया गया है, उन संस्थाओं से संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना द्वारा अगले सात दिनों में सम्पुष्ट करा लिया जाएगा।

xiii. जाँच संस्थानों से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के उपरांत सूचीबद्धता समिति की बैठक हेतु समेकित प्रस्ताव तीन दिनों में ईखायुक्त, बिहार, पटना को उपस्थापित किया जाएगा।

xiv. सूचीबद्धता समिति द्वारा गन्ना यंत्र निर्माताओं को स्वीकृत करने के बाद संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना द्वारा सॉफ्टवेयर में तीन दिनों के अन्दर प्रविष्टी कर ली जायेगी।

xv. आलोच्य वर्ष में डीलरों को निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किये जा रहे यंत्रों की संख्या एवं यंत्रों से सम्बंधित विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। आपूरित यंत्रों

की ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बंधित डीलर अनुदान पर यंत्रों का वितरण कर सकेंगे। अवहेलना की स्थिति में उनकी सूचीबद्धता रद्द कर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

xvi. गन्ना कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा सभी यंत्रों के मुख्य भाग पर सिरियल नम्बर की लेजर कटिंग एवं Engraved/Embossed में रजिस्ट्रेशन नंबर तथा वित्तीय वर्ष अंकित करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्माता अथवा उनके आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अमानक यंत्र की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

xvii. संबंधित यंत्र के आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता को पर्याप्त संख्या में स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को अविलम्ब स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हो सके। समय–समय पर इसकी जाँच संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा की जायेगी।

xviii. सभी गन्ना कृषि यंत्र निर्माता द्वारा अपने डीलरों के विभिन्न प्रकार के यंत्रों के Opening स्टॉक को अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर में डालकर ऑनलाईन किया जायेगा। इसके बाद इनके द्वारा नियमित रूप से इसे अपडेट भी किया जायेगा।

## 16. योजना का अनुश्रवणः–

16.1 योजना का अनुश्रवण निम्न अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ईखायुक्त, बिहार | अध्यक्ष |
| 2. | संयुक्त निदेशक, ईख विकास | सदस्य सचिव |
| 3. | संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना | सदस्य |
| 4. | निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा नामित वैज्ञानिक | सदस्य |
| 5. | निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा नामित वैज्ञानिक | सदस्य |

समिति के द्वारा अनुश्रवण के साथ–साथ योजना कार्यान्वयन एवं सूत्रण के संबंध में समय–समय पर निर्णय लिया जा सकेगा।

16.2 सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा यंत्रावार अनुदान का विस्तृत ब्यौरा अनुदान भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर ऑनलाईन SuMech पोर्टल के Subsidy Release Menu में अपडेट करना अनिवार्य होगा।

**16.3 विभागीय पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन :–**

(क) बिहार में वितरित किये गये गन्ना यंत्रो के 10 प्रतिशत यंत्र का संयुक्त निदेशक, ईख विकास द्वारा,

(ख) अपने क्षेत्रांर्गत कार्यालयों द्वारा वितरित यंत्रो का 20 प्रतिशत उप निदेशक, ईख विकास द्वारा,

(ग) वितरित किये गये गन्ना यंत्रो के 25 प्रतिशत यंत्र का संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा किसानों के घर पर जाकर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भौतिक सत्यापन की जाँच की जायेगी।

(घ) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के जनसेवक/कर्मी द्वारा शत–प्रतिशत कृषि यंत्रों का जाँच किया जाएगा।

**16.4** जनसेवक/कर्मी को छोड़कर उपरोक्त संबंधित सभी पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन SuMech Software में Upload किया जायेगा, जिसमें स्पष्ट मंतव्य अभ्युक्ति कॉलम में अंकित रहे।

**16.5** योजना कार्यान्वयन में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

**16.6** जिला स्तर पर सहायक निदेशक, ईख विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होगें तथा ईखायुक्त, बिहार योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होगें।

## 17. पदेन कर्मियों एवं पदाधिकारियों का दायित्व :–

### 17.1 VLW/ ईख प्रसार पदाधिकारी

I. किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग एवं लाभ के बारे में जानकारी देना।

II. अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन करने हेतु किसानों को प्रेरित करना।

III. किसानों के आवेदन को ऑनलाइन करना तथा किसान को Acknowledgement उपलब्ध कराना।

IV. आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदनित कृषि यंत्र योजनान्तर्गत पूर्व में खरीदा गया है / अथवा नहीं, की जाँच करना।

V. क्रेता/विक्रेता एवं पत्र (परिसम्पत्ति) के साथ फोटोग्राफी में उपस्थित रहना।

VI. यंत्रों का भौतिक / उपयोगिता सत्यापन करना।

VII. ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समय पर स्थलीय जाँच करना।

VIII. यंत्र आपूर्ति पश्चात किसान के घर जाकर यंत्र का भौतिक सत्यापन / उपयोगिता सत्यापन एवं यंत्र पर अंकित इंजन नं. / यंत्र का सीरियल नं. का मिलान करना एवं किसान के रजिस्ट्रेशन नं. एवं विक्रय के वर्ष यंत्र पर इन्ग्रेभ्ड है या नहीं की जाँच करना।

IX. कार्यान्वयन अनुश्रवण का अनुपालन सुनिश्चित करना।

X. मेला/कैम्प में यंत्रों का वितरण सुनिश्चित करना।

XI. सॉफ्टवेयर से संबंधित दायित्व—

   I. आवेदक द्वारा दिये गये सूचना को सत्यापित करना।
   II. जमीन के मालिकाना हक की जाँच सुनिश्चित करना।
   III. आवेदक की प्रामाणिकता (Bonafide) को सिद्ध करना।
   IV. लाभार्थी के आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की अनुशंसा करना।
   V. आवेदक द्वारा सॉफ्टवेयर में अपलोड किये गए दस्तावेज Invisible/ त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अपने लॉगिन आई०डी० से आवेदन सत्यापन के समय वांछित दस्तावेज पुनः अपलोड करना।
   VI. भौतिक सत्यापन के उपरांत कृषि यंत्रों पर अनुदान का दावा पत्र संबंधित **VLW/** ईख प्रसार पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन सृजित कर मूल अभिश्रव के साथ सहायक निदेशक को अग्रसारित करना करना।

**17.2 उप निदेशक/सहायक निदेशक, ईख विकास**

I. राज्य से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार यंत्रवार एवं कोटिवार आवेदन VLW/ ईख प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से सृजित करना।

II. जिला में मानक यंत्रों की ही प्रदर्शनी/बिक्री सुनिश्चित करना।

III. VLW/ ईख प्रसार पदाधिकारी द्वारा Auto Forwarded आवेदन की सतत् जाँच करना

IV. योजनान्तर्गत घटकवार शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत् कार्रवाई करना।

V. समय–समय पर स्थानीय विक्रेताओं की बैठक कर समीक्षा करना तथा यंत्रों के Sales Service/Spare Parts की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

VI. किसानों को योजना में शामिल कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देना एवं उनका उपयोग करने हेतु प्रेरित करना।

VII. अपने क्षेत्रान्तर्गत वितरित किये गये बीस हजार रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों का 25% एवं बीस हजार या बीस हजार रुपये से कम अनुदान वाले यंत्रों का 5% भौतिक रूप से रैण्डम जाँच करना।

VIII. कृषि यंत्र के उपयोग एवं रख–रखाव की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना तथा उसके फायदे के बारे में जानकारी देना।

IX. डीलर स्तर पर SuMech में घोषित Stock का मिलान करना।

X. कृषि यंत्रों से जुड़ी कृषक शिकायतों का समाधान अतिशीघ्र करना।

XI. जिलावार/चीनी मिलवार लक्ष्य प्राप्ति हेतु VLW एवं ईख प्रसार पदाधिकारी को दिशा–निर्देश जारी करना।

XII. कार्यान्वयन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

XIII. सफलता की कहानी तैयार कर निदेशालय को समय–समय पर उपलब्ध कराना।

XIV. फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों एवं अन्य उन्नत गन्ना कृषि यंत्रों के उपयोग एवं लाभ के बारे में किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

XV. आधुनिक कृषि यंत्रों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

XVI. चीनी मिलों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कृषि यंत्रों का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आयोजित करना।

**सॉफ्टवेयर से संबंधित दायित्व**

I. VLW एवं ईख प्रसार पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन की जाँच करना।

II. आवेदक द्वारा कृषि हेतु अन्य क्रय किये गये कृषि यंत्रों/मशीनों की सूचना का सत्यापन।

III. आवेदक की प्रामाणिकता (Bonafide) को सिद्ध करना।

IV. योजना के कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार आवेदक के पात्रता की जाँच करना।

V. चयनित आवेदकों (किसानों) को दो दिनों के अन्दर संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

VI. स्वीकृति पत्र के निर्गत के 30 दिनों के अंदर किसानों को पोर्टल पर सूचीबद्ध यंत्र विक्रेता से यंत्र का क्रय करना अनिवार्य होगा।

**17.3 संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना—**

I. संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना, गन्ना यंत्रिकरण योजना के राज्य नोडल पदाधिकारी होंगे।

II. योजनान्तर्गत शामिल सभी प्रकार के गन्ना कृषि यंत्रों के निर्माताओं एवं उनके यंत्रों (मेक/मॉडल) को समय–समय पर सूचीबद्ध (Empanel) करने की कार्रवाई सुनिश्चित करना, ताकि किसानों को समय पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।

III. योजनान्तर्गत जिन गन्ना कृषि यंत्रों के निर्माता राज्य में सूचीबद्ध नहीं हैं, उनके निर्माताओं को सूचीबद्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई एवं समन्वय करना।

IV. निर्माताओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण/सूचीबद्धीकरण के दौरान उत्पन्न समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना।

V. योजनान्तर्गत वितरित किए जाने वाले गन्ना कृषि यंत्रों की गुणवत्ता, निर्धारित परीक्षण प्रतिवेदन (Test Report) एवं मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना।

VI. सूचीबद्ध गन्ना कृषि यंत्रों की राज्य में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

VII. योजना के क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।

VIII. समय–समय पर ईखायुक्त, बिहार अथवा सक्षम प्राधिकारी की अध्यक्षता में यंत्र निर्माताओं, चीनी मिलों एवं अन्य संबंधित हितधारकों की बैठक आयोजित कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करना।

**17.4 राज्य नोडल पदाधिकारी (यंत्रिकरण योजना ), बिहार, पटना के दायित्व**

I. राज्य स्तर पर योजना का सघन अनुश्रवण करना।

II. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना एवं उनके निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

III. योजनानुसार शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करना।

IV. अनुदानित एवं वितरित यंत्रों का समय–समय पर औचक निरीक्षण करना तथा ईखायुक्त, बिहार, पटना को प्रतिवेदित करना।

**18. यंत्र बैंक का परिचालनः–**

i. गन्ना की खेती में लघु तथा सीमान्त किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र सुलभ कराने के उद्देश्य से "यंत्र बैंक" की स्थापना की जायेगी। परिणाम स्वरूप लघु एवं सीमांत किसान भाड़े पर उन्नत गन्ना कृषि यंत्र का उपयोग कर उचित समय पर शष्य क्रियाओं का निष्पादन कर सकेगे, जिससे गन्ना खेती की उत्पादन/उत्पादकता तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी।

(क) " यंत्र बैंक " में विभिन्न प्रकार के सूचीबद्ध आधुनिक यंत्र उपलब्ध होगें।

(ख) यंत्र बैंक की स्थापना चीनी मिल के स्तर पर भी की जा सकेगी।

ii. इस योजना के अंतर्गत क्रय किये गये यंत्रों के उपयोग के संबंध में निम्न अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) क्रय किये गये गन्ना कृषि यंत्र को पांच वर्ष तक संधारित किया जायेगा। इस बीच न तो यंत्र को बेचा जायगा नही किसी को हस्तांतरित किया जायेगा। संबंधित सहायक निदेशक यंत्र बैंक में उपलब्ध यंत्रों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करेंगे।

(ख) यंत्र बैंक स्थापित करने वाले समूह के द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा, जिसमें यंत्रों को भाड़े पर लेने वाले किसानों का नाम, पता, तिथि के साथ अवधि, मोबाईल नं0 एवं भुगतान की जाने वाली राशि का ब्यौरा अंकित किया जाएगा।

(ग) यंत्र बैंक के संचालक के द्वारा प्रत्येक यंत्र के लिए दूसरे किसानों को उपयोग के लिए किराया दर निर्धारित किया जायेगा जो बाजार मूल्य से कम होगा। किराया मूल्य की सूचना कृषि यंत्र बैंक के परिसर में प्रदर्शित की जायेगी तथा इसकी सूचना संबंधित सहायक निदेशक को दी जायेगी।

(घ) सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा पंजी में निरीक्षण की तिथि एवं मंतव्य अंकित किया जाएगा।

(ङ) अगर लाभुक द्वारा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक निदेशक, ईख विकास वैधिक कार्रवाई करेगें।

**19. प्रचार–प्रसार :–**

i. मुख्यालय एवं संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा योजना के संबंध में समाचार पत्र/सोशल मिडिया इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा।

ii. संबंधित यंत्रों का प्रचार–प्रसार जिलों के सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास/ईख पदाधिकारी एवं संबंधित जनसेवक/कर्मी द्वारा किया जायेगा तथा लक्ष्य के अनुसार आवेदन सृजित किया जायेगा।

**20. लेखा का संधारण :–**

i. अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये यंत्रो का लेखा संधारण योजनावार/कोटिवार किया जायेगा।

ii. किसानों को दिये जाने वाले स्वीकृति पत्र जिस योजना के विरूद्ध दिये जा रहे हैं, उन्हें उसी योजना की पंजी में एक साथ संधारित किया जायेगा।

**21. धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई :–**

i. भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में अगर ऐसा पाया जाता है कि किसान के पास क्रय किया गया कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया था तो किसान से अनुदान वसूल कर ली जायेगी एवं उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

ii. जाँच के क्रम में यदि पाया जाता है कि कृषि यंत्रों के निर्माता/विक्रेता द्वारा अमानक यंत्र कृषकों को उपलब्ध कराये गये हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित निर्माता/विक्रेता

पर सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा तुरंत प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

iii. अमानक यंत्रों की आपूर्ति करने या यंत्र क्रय किये बिना अनुदान प्राप्त करने या भुगतान करने/अपात्र लाभूकों को अनुदान वितरण करने की स्थिति में दोषी कर्मी/पदाधिकारी/आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध संबंधित पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

**22. अन्यान्य :–**

i. किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति हेतु कर्णांकित राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

ii. संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास फर्मवार/यंत्रवार अनुदानित दर पर वितरित यंत्र पर नियमानुसार GST की कटौती की सत्यता की जाँच हेतु जिला के वाणिज्य–कर कार्यालय को सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति पर देंगे तथा पूरे वर्ष का एक समेकित सूचना वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास वाणिज्य–कर कार्यालय को देंगे ताकि क्रॉस चेकिंग हो सके।

iii. संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला में सूचीबद्ध कृषि यंत्र विक्रेता द्वारा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषि यंत्र का विक्रय नहीं किया जा रहा हो।

iv. प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मेमो का निरीक्षण संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जायेगा। इसमें प्रतिवेदित मूल्य की तुलना बाजार मूल्य से की जायेगी। यह निरीक्षण प्रत्येक माह में किया जायेगा। फलाफल से संबंधित प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना एवं ईखायुक्त, बिहार को भेजी जायेगी।

v. स्वीकृत्यादेश में जिन यंत्रों पर अनुदान देय है, उन्हीं यंत्रों पर अनुदान देय होगा। उसके अतिरिक्त किसी भी यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा।

**23. गन्ना यंत्रिकरण योजना का सामान्य अनुदेश :–**

i. सहायक निदेशक, ईख विकास, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं की एक बैठक करायेंगे जिसमें गुणवता युक्त कृषि यंत्रों को

उचित मूल्य पर बिक्री करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। सहायक निदेशक, ईख विकास यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके।

ii. सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला में सूचीबद्ध कृषि यंत्र विक्रेता द्वारा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषि यंत्र का विक्रय नहीं किया जा रहा हो।

iii. अगर यंत्र निर्माता द्वारा यंत्रों पर कोई क्रमांक उत्कीर्ण नहीं किया गया है तो यंत्रों पर संख्या Engrave कराने की जिम्मेवारी विक्रेता की होगी, जिसे सहायक निदेशक, ईख विकास सुनिश्चित करायेंगे।

iv. प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मेमो का निरीक्षण सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जायेगा। इसमें प्रतिवेदित मूल्य की तुलना बाजार मूल्य से की जायेगी। यह निरीक्षण प्रत्येक माह में किया जायेगा। फलाफल से संबंधित प्रतिवेदन ईखायुक्त, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, ईख विकास को भेजी जायेगी।

v. यंत्र विक्रेता जिस बैंक खाते से निर्माता को भुगतान करते हैं उस खाता का बैंक स्टेटमेंट लिया जायेगा, ताकि यह जानकारी हो पाये कि खाते से केवल नगदी लेन–देन हो रहा है या किसी निर्माता को भुगतान भी किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार का संदेह पाया जाता है तो इस संबंध में तुरन्त कारवाई प्रारम्भ की जायेगी। यह कारवाई संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा की जा सकती है।

vi. सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा ससमय प्रगति प्रतिवेदन गन्ना उद्योग विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

30/7/2020

**ईखायुक्त, बिहार।**

# परिशिष्ट–1

## वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु गन्ना यंत्रिकरण योजना के तहत यंत्रों की सूची

| क्र० सं० | यंत्र का प्रकार | यंत्र का नाम | देय अनुदान/अधिकतम सीमा, दोनों में से जो कम हो (राशि रू० में) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य श्रेणी | अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व. |
| 1 | **A. Land Preparation Tools/Implements/ Machinery** | Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)/ Reversible MB Plough(Fully Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne) | 40% अधिकतम 40000 | 50% अधिकतम 50000 |
| 2 | | Disc Plough | 40% अधिकतम 16000 | 50% अधिकतम 20000 |
| 3 | | Disk Harrow (12-20 Disc)/ Hydraulic Disk Harrow (12-16 Disc) | 40% अधिकतम 24000 | 50% अधिकतम 30000 |
| 4 | | Land Leveller | 40% अधिकतम 6400 | 50% अधिकतम 8000 |
| 5 | | Laser Land Leveller | 40% अधिकतम 140000 | 50% अधिकतम 175000 |
| 6 | | Tractor Operated Rotavator (up to 4 feet and above) | 40% अधिकतम 24000 | 50% अधिकतम 30000 |
| 7 | | Chisel Plough(Two Tyne) | 40% अधिकतम 16000 | 50% अधिकतम 20000 |
| 8 | | Cultivator (9 Tyne and above) | 40% अधिकतम 14400 | 50% अधिकतम 18000 |
| 9 | | Sub-Soiler (Two Bottom and above) | 40% अधिकतम 24000 | 50% अधिकतम 30000 |
| 10 | | Power Harrow (5 Feet,12 blade and above) | 40% अधिकतम 72000 | 50% अधिकतम 90000 |
| 11 | | Tractor 2 WD/4WD (18 PTO HP and up to 30 PTO HP) | 40% अधिकतम 160000 | 50% अधिकतम 200000 |
| 12 | | Tractor 2 WD/4WD ( 40 PTO HP and above) | 40% अधिकतम 288000 | 50% अधिकतम 360000 |
| 13 | | Power Tiller 2WD (above 11 BHP) | 40% अधिकतम 96000 | 50% अधिकतम 120000 |
| | | | | |
| 14 | **B. Planting Tools/Implements/ Machinery** | Tractor Mounted Ridger | 40% अधिकतम 12000 | 50% अधिकतम 15000 |
| 15 | | Tractor operated Trencher (Two Row) | 40% अधिकतम 12000 | 50% अधिकतम 15000 |
| 16 | | Trench Planter (Cutter Type) | 40% अधिकतम 92000 | 50% अधिकतम 115000 |
| 17 | | Double Pit Digger | 40% अधिकतम 40000 | 50% अधिकतम 50000 |
| 18 | | Sugarcane Cutter Planter (Two Row) | 40% अधिकतम 104000 | 50% अधिकतम 130000 |
| 19 | | Single Bud Cutter Power Operated | 40% अधिकतम 12000 | 50% अधिकतम 15000 |
| 20 | | Tractor Operated Rota/Disc Ridger | 40% अधिकतम 32000 | 50% अधिकतम 40000 |
| 21 | | Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer | 40% अधिकतम 88000 | 50% अधिकतम 110000 |
| 22 | | Sugarcane Settling Planter (Two Row) | 40% अधिकतम 26400 | 50% अधिकतम 33000 |
| 23 | | Single Bud Cutter Manual | 40% अधिकतम 1200 | 50% अधिकतम 1500 |
| 24 | | Sugarcane Bud Chipper | 40% अधिकतम 1200 | 50% अधिकतम 1500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | C. Inter-culturing Tools/Implements/ Machinery | Power Weeder (engine operated 5 BHP and below 7.5 BHP) | 40% अधिकतम 22000 | 50% अधिकतम 27500 |
| 26 | | Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above) | 40% अधिकतम 32000 | 50% अधिकतम 40000 |
| 27 | | Tractor Operated inter row rotary weeder (Three Row) | 40% अधिकतम 64000 | 50% अधिकतम 80000 |
| 28 | | Sugarcane Inter-culturing Cultivator (up to 6 Tyne) | 40% अधिकतम 8000 | 50% अधिकतम 10000 |
| 29 | | Sugarcane Inter-culturing Cultivator (up to 7-15 Tyne) | 40% अधिकतम 12000 | 50% अधिकतम 15000 |
| 30 | | Earthing up with fertilizer unit Ridger | 40% अधिकतम 32000 | 50% अधिकतम 40000 |
| 31 | | Sugarcane Stubble Shaver | 40% अधिकतम 32000 | 50% अधिकतम 40000 |
| | | | | |
| 32 | D. Plant Protection Equipment's | Sett Treatment Device | 75% अधिकतम 112500 | 80% अधिकतम 120000 |
| 33 | | Tractor Mounted Sprayers (Hydraulic) | 40% अधिकतम 38400 | 50% अधिकतम 48000 |
| 34 | | Tractor Semi-Mounted Sprayers/ (with wheel) | 40% अधिकतम 64000 | 50% अधिकतम 80000 |
| 35 | | HTP Power Sprayer with Tank & Delivery Pipe | 40% अधिकतम 20000 | 50% अधिकतम 25000 |
| 36 | | Tractor Mounted Boom Sprayer | 40% अधिकतम 64000 | 50% अधिकतम 80000 |
| | | | | |
| 37 | E. Residue Control | Sugarcane Thrash Shredder | 75% अधिकतम 225000 | 80% अधिकतम 240000 |
| 38 | | Tractor Operated Slasher | 75% अधिकतम 56250 | 80% अधिकतम 60000 |
| 39 | | Sugarcane Thrash Cutter | 75% अधिकतम 37500 | 80% अधिकतम 40000 |
| 40 | | Sugarcane Trash Balers | 75% अधिकतम 330000 | 80% अधिकतम 352000 |
| | | | | |
| 41 | F. Harvesting Equipments | Sugarcane Harvester (Automatic) | 40% अधिकतम 3920000 | 50% अधिकतम 4900000 |
| 42 | | Tractor Mounted Sugarcane Harvester | 40% अधिकतम 500000 | 50% अधिकतम 625000 |
| 43 | | Tractor Trolley (Hydraulic) | 40% अधिकतम 79600 | 50% अधिकतम 99500 |
| 44 | | Sugarcane Harvester Infielder (5 tonnes capacity and above) | 40% अधिकतम 360000 | 50% अधिकतम 450000 |
| 45 | G. Value Addition Implement | Diesel engine / electric motor operated sugarcane juicer machine (including cart/trolley). | 40% अधिकतम 50000 | 50% अधिकतम 60000 |

30/7/24

ईखायुक्त, बिहार

# परिशिष्ट–2

## वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु गन्ना यंत्रिकरण योजना के तहत यंत्रवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

| क्र० सं० | यंत्र का प्रकार | यंत्र का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | TOTAL |
| 1 | A. Land Preparation Tools/Implements/Machinery | Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)/ Reversible MB Plough(Fully Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne) | 80 | 35.00000 |
| 2 | | Disc Plough | 111 | 19.04000 |
| 3 | | Disk Harrow (12-20 Disc)/ Hydraulic Disk Harrow (12-16 Disc) | 179 | 44.70000 |
| 4 | | Land Leveller | 131 | 8.88000 |
| 5 | | Laser Land Leveller | 76 | 112.00000 |
| 6 | | Tractor Operated Rotavator (up to 4 feet and above) | 186 | 46.50000 |
| 7 | | Chisel Plough(Two Tyne) | 30 | 5.00000 |
| 8 | | Cultivator (9 Tyne and above) | 121 | 18.18000 |
| 9 | | Sub-Soiler (Two Bottom and above) | 39 | 10.50000 |
| 10 | | Power Harrow (5 Feet,12 blade and above) | 5 | 3.96000 |
| 11 | | Tractor 2 WD/4WD (18 PTO HP and up to 30 PTO HP) | 237 | 394.00000 |
| 12 | | Tractor 2 WD/4WD ( 40 PTO HP and above) | 187 | 565.20000 |
| 13 | | Power Tiller 2WD (above 11 BHP) | 19 | 20.40000 |
| | **Sub total (A)** | | **1401** | **1283.36000** |
| 14 | B. Planting Tools/Implements/Machinery | Tractor Mounted Ridger | 66 | 8.40000 |
| 15 | | Tractor operated Trencher (Two Row) | 135 | 18.39000 |
| 16 | | Trench Planter (Cutter Type) | 75 | 77.05000 |
| 17 | | Double Pit Digger | 20 | 8.80000 |
| 18 | | Sugarcane Cutter Planter (Two Row) | 31 | 35.62000 |
| 19 | | Single Bud Cutter Power Operated | 21 | 2.67000 |
| 20 | | Tractor Operated Rota/Disc Ridger | 77 | 27.60000 |
| 21 | | Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer | 33 | 32.78000 |
| 22 | | Sugarcane Settling Planter (Two Row) | 15 | 4.29000 |
| 23 | | Single Bud Cutter Manual | 43 | 0.55500 |
| 24 | | Sugarcane Bud Chipper | 42 | 0.54300 |
| | **Sub total (B)** | | **558** | **216.69800** |

30/7/2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | C. Inter-culturing Tools/Implements/ Machinery | Power Weeder (engine operated 5 BHP and below 7.5 BHP) | 192 | 46.695 |
| 26 | | Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above) | 273 | 97.2 |
| 27 | | Tractor Operated inter row rotary weeder (Three Row) | 77 | 56.48 |
| 28 | | Sugarcane Inter-culturing Cultivator (up to 6 Tyne) | 25 | 2.1 |
| 29 | | Sugarcane Inter-culturing Cultivator (up to 7-15 Tyne) | 15 | 1.95 |
| 30 | | Earthing up with fertilizer unit Ridger | 60 | 21.2 |
| 31 | | Sugarcane Stubble Shaver | 7 | 2.48 |
| | **Sub total (C )** | | **649** | **228.105** |
| 32 | D. Plant Protection Equipment's | Sett Treatment Device | 14 | 16.05 |
| 33 | | Tractor Mounted Sprayers (Hydraulic) | 75 | 32.16 |
| 34 | | Tractor Semi-Mounted Sprayers/ (with wheel) | 65 | 45.6 |
| 35 | | HTP Power Sprayer with Tank & Delivery Pipe | 18 | 4.05 |
| 36 | | Tractor Mounted Boom Sprayer | 82 | 60.32 |
| | **Sub total (D)** | | **254** | **158.18** |
| 37 | E. Residue Control | Sugarcane Thrash Shredder | 37 | 85.8 |
| 38 | | Tractor Operated Slasher | 12 | 6.825 |
| 39 | | Sugarcane Thrash Cutter | 29 | 11.1 |
| 40 | | Sugarcane Trash Balers | 11 | 37.4 |
| | **Sub total (E)** | | **89** | **141.125** |
| 41 | F. Harvesting Equipments | Sugarcane Harvester (Automatic) | 3 | 127.4 |
| 42 | | Tractor Mounted Sugarcane Harvester | 30 | 166.25 |
| 43 | | Tractor Trolley (Hydraulic) | 161 | 140.295 |
| 44 | | Sugarcane Harvester Infielder (5 tonnes capacity and above) | 7 | 27 |
| 45 | G. Value Addition Implement | Diesel engine / electric motor operated sugarcane juicer machine (including cart/trolley). | 66 | 35.3 |
| | **Sub Total** | | **3218** | **2523.71** |
| 46 | **No. of Implement Bank** | | **80** | **640.00** |
| | **Grand Total** | | **......** | **3163.71** |

20/7/2016

ईखायुक्त, बिहार

## परिशिष्ट – 3

### वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु गन्ना यंत्रिकरण योजना अंतर्गत सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालयवार सांकेतिक आवेदनों का लक्ष्य

| | | | ADS Bagha | ADS Betiah | ADS Motihari | ADS Gopalganj | ADS Sitamarhi | ADS Samastipur | ADS Siwan | ADS Muzzafarpur | ADS Bhagalpur | ADS Darbhanga | ADS Saharsa | ADS Purnea | ADS Jamui | ADS Bhojpur | ADS Gaya | ADS Patna | कुल लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Land Preparation Tools/Implements/Machinery | Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)/ Reversible MB Plough(Fully Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne) | 27 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 |
| 2 | | Disc Plough | 32 | 15 | 3 | 12 | 5 | 11 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 |
| 3 | | Disk Harrow (12-20 Disc)/ Hydraulic Disk Harrow (12-16 Disc) | 35 | 20 | 15 | 25 | 12 | 15 | 10 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 179 |
| 4 | | Land Leveller | 32 | 15 | 9 | 20 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 131 |
| 5 | | Laser Land Leveller | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| 6 | | Tractor Operated Rotavator (up to 4 feet and above) | 35 | 20 | 15 | 21 | 15 | 13 | 12 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 186 |
| 7 | | Chisel Plough(Two Tyne) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 8 | | Cultivator (9 Tyne and above) | 22 | 15 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 |
| 9 | | Sub-Soiler (Two Bottom and above) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| 10 | | Power Harrow (5 Feet,12 blade and above) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | | Tractor 2 WD/4WD (18 PTO HP and up to 30 PTO HP) | 60 | 30 | 15 | 30 | 20 | 15 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 237 |
| 12 | | Tractor 2 WD/4WD ( 40 PTO HP and above) | 40 | 22 | 12 | 21 | 15 | 15 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 187 |
| 13 | | Power Tiller 2WD (above 11 BHP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| | | **Sub total (A)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 1401 |
| 14 | B. Planting Tools/Implements/ Machinery | Tractor Mounted Ridger | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 |
| 15 | | Tractor operated Trencher (Two Row) | 30 | 19 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 135 |
| 16 | | Trench Planter (Cutter Type) | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 |
| 17 | | Double Pit Digger | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 18 | | Sugarcane Cutter Planter (Two Row) | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 19 | | Single Bud Cutter Power Operated | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 20 | | Tractor Operated Rota/Disc Ridger | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 |
| 21 | | Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 22 | | Sugarcane Settling Planter (Two Row) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 23 | | Single Bud Cutter Manual | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 24 | | Sugarcane Bud Chipper | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| | | **Sub total (B)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 558 |

30/7/26

| | | | ADS Bagha | ADS Betiah | ADS Motihari | ADS Gopalganj | ADS Sitamarhi | ADS Samastipur | ADS Siwan | ADS Muzzafarpur | ADS Bhagalpur | ADS Darbhanga | ADS Saharsa | ADS Purnea | ADS Jamui | ADS Bhojpur | ADS Gaya | ADS Patna | कुल लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | C. Inter-culturing Tools/Implements/ Machinery | Power Weeder (engine operated 5 BHP and below 7.5 BHP) | 30 | 25 | 16 | 24 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 192 |
| 26 | | Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above) | 45 | 34 | 15 | 34 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 273 |
| 27 | | Tractor Operated inter row rotary weeder (Three Row) | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 |
| 28 | | Sugarcane Inter-culturing Cultivator (up to 6 Tyne) | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 29 | | Sugarcane Inter-culturing Cultivator (up to 7-15 Tyne) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 30 | | Earthing up with fertilizer unit Ridger | 12 | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 |
| 31 | | Sugarcane Stubble Shaver | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | **Sub total (C )** | | | | | | | | | | | | | | | | | 649 |
| 32 | D. Plant Protection Equipment's | Sett Treatment Device | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | | Tractor Mounted Sprayers (Hydraulic) | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 |
| 34 | | Tractor Semi-Mounted Sprayers/ (with wheel) | 14 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 |
| 35 | | HTP Power Sprayer with Tank & Delivery Pipe | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 36 | | Tractor Mounted Boom Sprayer | 36 | 15 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 82 |
| | | **Sub total (D)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 254 |
| 37 | E. Residue Control | Sugarcane Thrash Shredder | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 38 | | Tractor Operated Slasher | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | | Sugarcane Thrash Cutter | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 40 | | Sugarcane Trash Balers | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | **Sub total (E)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 |
| 41 | F. Harvesting Equipments | Sugarcane Harvester (Automatic) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | | Tractor Mounted Sugarcane Harvester | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 43 | | Tractor Trolley (Hydraulic) | 53 | 20 | 9 | 15 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 161 |
| 44 | | Sugarcane Harvester Infielder (5 tonnes capacity and above) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 45 | G. Value Addition Implement | Diesel engine / electric motor operated sugarcane juicer machine (including cart/trolley). | 15 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66 |
| | | **Sub Total (F)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 267 |
| | | **Sub Total (A+B+C+D+E+F)** | 699 | 427 | 229 | 422 | 243 | 242 | 192 | 76 | 73 | 170 | 73 | 73 | 71 | 71 | 73 | 84 | 3218 |
| | | **No. of Implement Bank** | 21 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |
| 46 | | **Grand Total** | 720 | 435 | 234 | 430 | 251 | 250 | 194 | 78 | 75 | 174 | 75 | 75 | 73 | 73 | 75 | 86 | 3298 |

ईखायुक्त, बिहार